

दिनांक:- 11.05.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सभा कक्ष में मोबाईल ऐप से संबंधित दूसरी बैठक की कार्यवाही।

---

उपस्थिति:-

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. श्री सतेन्द्र सिंह, प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. डॉ० सर्वेश सिंघल, विशेष सचिव सह निदेशक, जैप0आई0टी0, झारखण्ड, राँची।
4. श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
5. श्रीमती शिवानी कोड़ाह, एन0आई0सी0, झारखण्ड, राँची।
6. श्री राजेश रमानी, प्रतिनिधि, जेसैक, झारखण्ड, राँची।

अनुपस्थिति:-

1. श्री रितेश कुमार गुप्ता, नोडल ऑफिसर, PGMS

बैठक में सभी पदाधिकारी गण से राज्य खाद्य आयोग का परिचय कराया गया एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई:-

1. जन वितरण प्रणाली में निम्न समस्याएँ हैं:-
  - (क) कार्डधारियों के नाम कट जाने पर पुनः जोड़ना
  - (ख) राशन नहीं मिलना
  - (ग) राशन कम मिलना,
  - (ग) राशन कार्ड नहीं बनना,
  - (घ) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा राशन देने हेतु अधिक पैसों की मांग करना।
2. इन समस्याओं के आधार एवं डाटा के अनुसार प्रथम चरण में ऐप बनाने का निर्णय लिया गया।
3. द्वितीय चरण में दिनांक – 13.03.18 की बैठक में लिये निर्णय के अनुसार अन्य विभागों को जोड़ा जायेगा।
4. सभी विभागों में समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
5. P.G.M.S को आहार से tag करने एवं उसकी अभी से ही तैयारी करने का निर्णय लिया गया।
6. मॉनिटर करने के लिए एक Dashboard बनाने का निर्णय लिया गया।
7. बी0एस0एन0एल से ऑप्टिकल फाईबर एवं बढ़िया पैकेज लगाने संबंधी निर्णय लिया गया।
8. प्रत्येक कमरे में नेट की सुविधा एवं नेट की लागत को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
9. बी0एस0एन0एल की लागत जोड़ने का आदेश जेसैक को दिया गया।
10. Airtel/Jio/BSNL को फाईबर कनेक्टिविटी हेतु पत्र देने का निर्णय लिया गया।
11. ऐप विकसित करने की कार्रवाई को बैठक में काफी सराहा गया तथा इसे शीघ्र अर्थात् अगस्त, 2018 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ताकि झारखण्ड ऐप विकसित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बने।

12. इस क्रम में ऐप का विस्तार 3 वर्ष के लिए एवं मैन पावर बढ़ने की संभावना के मद्देनजर जेसैक के संशोधित अनुमान दो दिनों के अन्दर देने का प्रस्ताव दिया गया, जो प्राप्त हो गया है तथा संशोधित अनुमान **1,06,57,368 (एक करोड़ छः लाख सन्तावन हजार तीन सौ अड़सठ)** रुपये है।
13. ऐप से संबंधित राशि का एकमुश्त प्रबन्ध करने का निर्णय लिया गया।
14. शिकायत से संबंधित याचिका को ई - मेल के द्वारा डाटा आयोग को उपलब्ध कराने का आदेश जेसैक को दिया गया।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह0/-  
(सुनील कुमार सिन्हा)  
सदस्य सचिव,  
राज्य खाद्य आयोग,  
राँची।

ह0/-  
(सर्वेश सिंघल)  
विशेष सचिव सह,  
निदेशक JAPIT,  
राँची।

ह0/-  
(सत्येन्द्र सिंह)  
प्रधान सचिव,  
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,  
राँची।

ह0/-  
(सुधीर प्रसाद)  
अध्यक्ष,  
राज्य खाद्य आयोग,  
राँची।

ज्ञापांक:-रा0खा0आ0 (विविध) 30/2018 - 327

राँची, दिनांक:- 29.05.18

प्रतिलिपि:- सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/विशेष सचिव सह निदेशक जैप0आई0टी0 झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(सुनील कुमार सिन्हा)  
सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:-रा0खा0आ0 (विविध) 30/2018 - 327

राँची, दिनांक:- 29.05.18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड राँची के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(सुनील कुमार सिन्हा)  
सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:-रा0खा0आ0 (विविध) 30/2018 - 327

राँची, दिनांक:- 29.05.18

प्रतिलिपि:- श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(सुनील कुमार सिन्हा)  
सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।